न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 20 / 2022

अपीलांट्स –   ***<u>बनाम</u>***   **रेस्पोडेंट्स –**

सालूराम मेघवाल, सरपंच, ग्राम पंचायत कोलियाणा, पंचायत समिति धोरीमन्ना, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर

नायब तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 102 जो दिनांक 18.04.2022 को नायब तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री राजेश विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से अनुपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 29.12.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम राणासर कलां के नामान्तरकरण सं. 102 पर नायब तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 18.04.2022 के विरूद्ध दिनांक 27.05.2022 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा विष्णु नगर के खसरा नम्बर 238 रकबा 379–10 बीघा गै0 मु0 गोचर में से 03–16 बीघा भूमि गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व रेकर्ड में अंकन करने हेतु आदेश दिनांक 05.01.2021 को पारित किया गया तथा खातेदारान द्वारा अपनी भूमि गैर रास्ते के रूप में कराने हेतु नायब तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा प्रस्तुत उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना के आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने आदेश क्रमांक / भू.अ. / 2021

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

दिनांक 26.02.2021 को खसरा नम्बर 238 मे से 0.4522 हेक्टयर व 0.809 हेक्टयर की भूमि गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करने हेतु हल्का पटवारी राणासर कलां को आदेश किया गया। हल्का पटवारी राणासर कलां द्वारा नायब तहसीलदार धोरीमन्ना के उक्त आदेश क्रमांक/भू.अ./2021 दिनांक 26.02.2021 की पालना में गैर मुमकिन भूमि में रास्ते का नामान्तरकरण सं. 102 दिनांक 26.02.2022 दायर कर नायब तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर नायब तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा दिनांक 18.04.2022 को अस्वीकृत कर दिया गया। अपीलांट ने नायब तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज भूमि मौजा विष्णु नगर पटवार राणासर कलां के खसरा नम्बर 238 रकबा 379–10 बीघा गै0 मु0 गोचर में से 03–16 बीघा में आई हुई है। नायब तहसीलदार, धोरीमन्ना ने अपने आदेश में यह अंकित किया कि ना.का.का आधार दस्तावेज गैर मुमकिन गोचर भूमि में रास्ता बाबत भूमि वर्गीकरण का आदेश है। यह आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित है। गै.मु.गोचर में से किस्म वर्गीकरण परिवर्तन राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 7 अनुसार ही संभव है। इस हेतु गै.मु.गोचर के बदले अन्य भूमियों में से क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है, जो इस प्रकरण में नहीं की गई है, गै.मु.गोचर का वर्गीकरण रास्ते के रूप में किये जाने हेतु जिला कलक्टर ही सक्षम है। अतः अधिकारित के बाहर जारी आदेश की बिनाय पर दर्ज यह नामान्तरकरण खारिज किया जाता है। उक्त आक्षेप के आधार नामान्तरकरण खारिज किया गया है, वो आक्षेप सरासर गलत व मनगढत लगाया गया है। श्रीमान जिला कलक्टर, बाडमेर द्वारा जारी पत्र क्रमांक राजस्व/2019/7009 दिनांक 03.12.2019 के अनुसार राजकीय भूमि में से चालू रास्तों को नक्शे में दर्ज करने हेतु राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 4–3 राज–6/2003/पार्ट/9 जयपुर दिनांक 02.04.2008 द्वारा राजस्थान भू राजस्व (भू.अभिलेख) नियम,

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

1957 के नियम 60 में संशोधन कर नियम 60 (एच) के तहत राजकीय भूमि में चल रहे रास्ते जो रेकर्ड में दर्ज नहीं है को भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा दर्ज करने के प्रावधान किये गये हैं। उपरोक्त श्रीमान के आदेशानुसार भी उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना द्वारा गैर मुमकिन गोचर की भूमि में से रास्ते हेतु भूमि आवंटित की गई है, जो सही व विधि सम्मत है। अतः उतरदाता संख्या 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2022 को पारित किया गया है जो खारिज योग्य है।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना द्वारा मौजा विष्णु नगर के खसरा नंबर 238 रकबा 379.10 बीघा गैर मुमकिन गोचर में से 2.16 एवं 1.00 कुल 03.16 बीघा भूमि गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व रेकर्ड में अंकन करेन हेतु आदेश दिनांक 05.01.2021 को पारित किया गया जो आदेश पूर्णतया विधि सम्मत है तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार ही जारी किया गया है जो आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही पारित किया गया है परंतु नायब तहसीलदार ने गलत व विधि के प्रावधानों के विपरित जाकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रफोर्मा पक्षकार।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा विष्णु नगर के खसरा नम्बर 238 रकबा 379–10 बीघा गै0 मु0 गोचर में से 03–16 बीघा भूमि गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व रेकर्ड में अंकन करने हेतु आदेश दिनांक 05.01.2021 को पारित किया गया। उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना के आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने आदेश क्रमांक/भू.अ./2021 दिनांक 26.02.2021 को खसरा नम्बर 238 मे से 0.4522 हेक्टयर व 0.809 हेक्टयर की भूमि गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करने हेतु हल्का पटवारी राणासर कलां को आदेश किया गया। हल्का पटवारी राणासर कलां द्वारा नायब तहसीलदार धोरीमन्ना के उक्त आदेश क्रमांक/भू.अ./2021 दिनांक 26.02.2021 की पालना में गैर मुमकिन भूमि में रास्ते का नामान्तरकरण सं. 102 दिनांक 26.02.2022 दायर कर नायब तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

प्रस्तुत किया। इस पर नायब तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा दिनांक 18.04.2022 को अस्वीकृत कर दिया गया। नायब तहसीलदार द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध किसी प्रकार की अर्द्धन्यायिक प्रकृति की कोई कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की तथा नामान्तरकरण को खारिज कर दिया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा जनहित में सरकारी रास्ता कटाण किए जाने का आदेश पारित किया था तथा निजी खातेदारों द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ता निकालने हेतु भी स्वीकृति प्रदान की गई थी। ऐसे में सक्षम उपखण्ड अधिकारी द्वारा वृहदजन के सुखाचार हेतु रास्ते के रूप में भूमि दर्ज किए जाने के राजस्थान भू राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 60 (एच) के तहत राजकीय भूमि में चल रहे रास्ते का नक्शे एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु पारित किया गया आदेश किसी भी रूप में अविधिक नहीं है तथा नायब तहसीलदार द्वारा इसकी पालना में नामान्तरकरण दायर किया जाना नियमानुसार था। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण पर पारित किया गया आदेश तथ्य की भूल द्वारा होना प्रतीत होता है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश काबिले निरस्त है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मौजा विष्णु नगर के नामान्तरकरण सं. 102 दिनांक 25.02.2022 पर पारित आदेश दिनांक 18.04.2022 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार धोरीमन्ना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना से चारागाह की भूमि के वर्ग परिवर्तन की प्रक्रिया उपरान्त विधिवत आदेश प्राप्त कर नए सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पन्न करें।

9. निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(राजेन्द्र सिंह रावत)
अतिरिक्त कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (राज.)